

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -91/2019

जी. सी.एम.एस. नम्बर-2019/00128

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोजेण्डन्ट्स
गोपीराम पुत्र झूमरलाल ब्राहमण, निवासी गोठन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।		1. तहसीलदार मेड़ता, 2. हल्का पटवारी, गोठन, तहसील मेड़ता

उपस्थिति:-

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गौड़ ।
2. रेस्पोजेण्डन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ।

निर्णय

दिनांक 13-09-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.11.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी गोठन ने अपीलांट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम गोठन के खसरा नम्बर 651 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन खान की जमीन पर अतिक्रमण पर पक्का मकान, पक्की दीवार व पक्की दुकान बनाकर कब्जा कर लेने बाबत पेश की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध धारा 91 एल. आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट जरिए अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जबाब पेश किया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.11.19 को अपीलांट व उसके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में अपीलांट के विरुद्ध बेदखली, जुर्माना व तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने बाबत आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 पूर्णतया अवैध विधिविरुद्ध एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। दिनांक 14.11.2019 तक पत्रावली हल्का पटवारी की रिपोर्ट पेश होने बाबत नियत की हुई थी। उस दिन हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर बिना बहस सुने पत्रावली सीधे निर्णय हेतु मुकर्रर कर दी एवं दिनांक 18.11.2019 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। उक्त दोनो आदेशिकाओ से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में बिना अंतिम बहस सुने जैर अपील पारित किया है।

दिनांक 14.11.19 को अपीलांट की ओर से एक आवेदन भी पेश किया गया किन्तु उसके कोई उल्लेख आदेशिका दिनांक 14.11.2019 में नहीं किया है, न ही अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति बताई है। जिससे भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया है।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.11.19 के अनुसार उस दिन केवल मात्र निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाये जाने का अंकन है जबकि दिनांक 18.11.2019 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान के लिये गये उसका कोई उल्लेख आदेशिका दिनांक 18.11.19 में नहीं है न ही हल्का पटवारी से जिरह का अवसर अपीलांट को दिया गया है न ही उस दिन पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत थी। न ही अपीलांट को बयान/साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध एवं विधि विरुद्ध ढंग से विधिक प्रावधानों को पूर्णतया मजबूत अंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है।



Handwritten signature and stamp of the District Collector, Nagaur, Rajasthan.

विवादित भूमि जिस पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट का अतिक्रमण बताया गया है वह भूमि अपीलांट की रजिस्टर्ड खरीद शुदा भूमि तथा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुदा भूमि है। अपीलांट के स्वामित्व की जितनी भूमि है उतनी ही भूमि पर अपीलांट द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। हल्का पटवारी ने अपीलांट का अतिक्रमण किस आधार पर माना है उस बाबत न तो कोई नाप रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश हुई है, न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुआ है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलांट ने अपने स्वामित्व की भूमि के अतिरिक्त भूमि पर कोई कब्जा किया है। हल्का पटवारी ने जो बयान दिये हैं उसमें भी अतिक्रमण के संबंध में किन्ही तथ्यों का स्पष्ट खुलासा नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार के अपीलांट के विरुद्ध जो आदेश जैर अपील पारित किया है व निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित भूमि भवंरलाल पुत्र परसाराम गिवारियां की खरीद शुदा भूमि थी। जिसने अपनी खरीद शुदा 348.32 वर्गमीटर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु तहसीलदार मेड़ता के समक्ष आवेदन पेश किया, जो प्रकरण संख्या 8/07 दर्ज किया गया। जिस पर सम्पूर्ण जांच करते हुए तहसीलदार ने उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की। उक्त पत्रावली में स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये थे तथा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि का नक्शा भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हल्का पटवारी व तहसीलदार मेड़ता को यह भलीभांति ज्ञात था कि विवादित भूमि अपीलांट की संपरिवर्तित शुदा भूमि है फिर भी अपीलांट की ओर से जबाब के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की बिना किसी प्रकार की जांच किये जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उक्त संपरिवर्तित शुदा भूमि को अपीलांट ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2012 को खरीद कर मौके पर काबिज हुआ एवं इसी खरीद शुदा भूमि पर अपीलांट आज दिन काबिज है। इस के अलावा किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर अपीलांट का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा, न है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध पूर्व में बेदखल किये जाने बाबत किसी भी प्रकरण अथवा निर्णय की प्रति पेश नहीं की गई थी, न ही हल्का पटवारी ने अपने बयान दिनांक 18.11.2019 में यह कथन किया है कि पूर्व में अपीलांट को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकरण में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो। इस प्रकार जब पूर्व में जब किसी प्रकार की बेदखली बाबत कोई दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरुद्ध जो सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से अवैध व विधि विरुद्ध है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 4.11.2019 की रिपोर्ट जो आर.आई. हल्का द्वारा पेश की गई उसमें स्पष्ट रूप से पैरा संख्या 3 में यह अंकन किया है कि "तथ्यात्मक रिपोर्ट बहुत लम्बी है जिसकी गहराई से जांच आवश्यक है प्रार्थी के साथ न्याय हो इसलिए और समय की आवश्यकता है।" ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट था कि अपीलांट द्वारा अपने जबाब के समर्थन में जो दस्तावेजात पेश किये गये उन दस्तावेजों के संबंध में वह मौके पर नाप चोप के संबंध में विस्तृत जांच की जाना आवश्यक थी, किन्तु इसके बावजूद भी बिना किसी प्रकार की जांच किये अधिनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरुद्ध ढंग से आदेश जैर अपील पारित किया है।

न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार मेड़ता से वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा के चाही गई जिसके संबंध में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक-238 दिनांक 06.04.21 से मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 651 किस्म गै.मु. खान सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा दो दुकान 450 वर्गफुट, तीन दुकान 900 वर्गफुट एक पोल 300 वर्गफुट कुल रकबा 1650 वर्गफुट पर कब्जा होना तथा 4806 वर्गफुट पर पक्की दीवार निकाल कर अर्थात् कुल 6456 वर्गफुट पर कब्जा होना बताया है। खसरा नम्बर 652 में पक्के मकान बने हुए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि पुराने खसरा नम्बर 1269 मी. के नये खसरा नम्बर 652 बने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्वर्जन रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है, जो कि सेंटलमेन्ट से बने नक्शे अनुसार उक्त खसरा नम्बर 651 है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1269 है। प्रार्थी कन्वर्जन रिपोर्ट अनुसार मौके पर सही काबिज होना बताया है, का कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 36/19 में पारित आदेश दिनांक 18.11.19 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने रेषपोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार मेड़ता में चली, बाद सुनवाई का अवसर



9

देकर अपीलान्त को खसरा नम्बर 651 की 0.06 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन खान मौजा गोटेन पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर बेदखली, जुर्माना एवं तीन माह के कारावास से दण्डित किया गया।

अपीलान्त गोपीराम व इसके सहयोगी जमीनों के धंधे करते हैं तथा प्लॉटिंग करते हैं और जिस रकबे का प्लॉटिंग करते हैं, पास पड़ोस की भूमियों पर अतिक्रमण करके बाहुबल के जोर कब्जा जमाते हैं।

प्रकरण हाजा में पहले भी गोपीराम व इसके सहयोगियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय तक अतिक्रमण का मुकदमा चला, जो सत्यनारायण व गोपीराम वगैरह बनाम राजस्व मण्डल अनवान का रहा, जिसकी सिविल रिट संख्या 9039/2019 तारीख फैसला 01.07.2019 राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से निर्णित होकर गोपीराम वगैरह को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश हुआ, जिसकी पालना जिला प्रशासन द्वारा करा दी गई है या कराया जाना लम्बित है।

प्रकरण हाजा में भी अपीलान्त स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 651 की 0.06 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी है, इस खसरा नम्बर का मौजूदा रकबा 0.30 हैक्टर है। इस खसरा का पुराना नम्बर 1269 रकबा 2.07 बीघा था। जिसमें 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि धनराज पुत्र गणपतराम ब्राह्मण के नाम नियमन/आवटन हो गया, जिसका म्यूटेशन नम्बर 350 रहा था, शेष 17 बिस्वा भूमि इस खसरा की बची थी। अपीलार्थी का कथन कि पुराना खसरा नम्बर 1269 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 3750 वर्गफुट 04 बिस्वा 03 बिस्वान्सी खीदा, जिसका म्यूटेशन नम्बर 2386 है।

अपीलार्थी का कथन कि पुराना खसरा नम्बर 1269 मिन 1 बीघा 10 बिस्वा का भाग है, इसका मतलब है कि अपीलान्त को शेष खसरा नम्बर 1269 रकबा 17 बिस्वा में कोई हक अधिकार तो नहीं रहा। इस सरकारी खसरा नम्बर पर तो वह यदि कब्जा जमाता है तो स्पष्ट रूप से अतिक्रमी है। पुराना खसरा नम्बर 1269 रकबा 17 बिस्वा का हाल पैमायश के खसरा नम्बर 651 रकबा 0.30 हैक्टर रकबा कैसे बढ़ा, इसका लाभ उठाने की बात अपीलार्थी का मुख्य उजर है। अपीलान्त स्वयं मानता है कि उसकी भूमि हाल खसरा नम्बर 652 का हिस्सा है, जो पुराना खसरा नम्बर 1269 मिन था। पुराना खसरा नम्बर 1269 मिन की कोई भूमि का बिना रद्दोबदल किये नया खसरा नम्बर 652 बिना है, तो फिर अपीलान्त का हक हाल खसरा नम्बर 652 से बाहर निकलने का नहीं रह गया। ऐसी दशा में अपीलान्त इस बात का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है कि खसरा नम्बर 651 हाल रकबा 0.30 हैक्टर पुराना रकबा 0.17 बिस्वा से अधिक दर्ज हुआ है।

साबिका खसरा नम्बर 1269 जो बचा रकबा 17 बिस्वा रहा था, उसका नक्शा बड़ा था, रकबा भी सही दर्ज नहीं था, क्योंकि नक्शा गलत बनने की वजह से पड़ोसी खातेदारी का खेत साबिका खसरा नम्बर 1267 का रकबा खसरा बंदोबस्त में रकबा त्रुटि से कम दर्ज करके नक्शा छोटा बन गया था। खसरा नम्बर 1269 के खसरा बंदोबस्त संवत् 2006 में त्रुटि से 100 गट्टे का रकबा गणितीय भूल से कम दर्ज किया गया था। जिस त्रुटि व मौके पर नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही अन्य खातेदार खसरा नम्बर 1267 के हैं, जिन्होंने एसडीओ कोर्ट मेड़ता में कार्यवाही कर रखी है, जिसका उचित केश मानकर ताफैसला वाद उक्त खातेदार रामबल्लभ वगैरह के पक्ष में स्टे जारी कर रखा है। ऐसी दशा में खसरा नम्बर 651 का बढ़ा हुआ रकबा साबिका खसरा नम्बर 1267 हाल खसरा नम्बर 645 का रकबा है। ऐसी दशा में अपीलार्थी इस बढ़े रकबे का कोई भी हकदार भी नहीं है। न ही अपीलार्थी यह साबित कर पाया है कि उसका साबिका खसरा नम्बर 1269 मिन हाल खसरा नम्बर 652 का कोई भू भाग खसरा नम्बर 651 में गया है, ऐसी दशा में अपीलान्त बखूबी खसरा नम्बर 651 पर अतिक्रमी है।

प्रकरण में न्यायालय हाजा आदेशिका दिनांक 05.03.2020 एवं 21.12.2020 अनुसार तहसीलदार मेड़ता से आदेशानुसार वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा के चाही गई जिसके संबंध में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक-238 दिनांक 06.04.21 से मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 651 किस्म गै.मु. खान सरकारी भूमि पर अपीलान्त द्वारा दो दुकान 450 वर्गफुट, तीन दुकान 900 वर्गफुट एक पोल 300 वर्गफुट कुल रकबा 1650 वर्गफुट पर कब्जा होना तथा 4806 वर्गफुट पर पक्की दीवार निकाल कर अर्थात् कुल 6456 वर्गफुट पर कब्जा होना बताया है। खसरा नम्बर 652 में पक्के मकान बने हुए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि पुराने खसरा नम्बर 1269 मी. के नये खसरा नम्बर 652 बने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्वर्जन रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है, जो कि सेटलमेन्ट से बने नक्शे अनुसार उक्त खसरा नम्बर 651 है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1269 है। प्रार्थी कन्वर्जन रिपोर्ट अनुसार मौके पर सही काबिज है, लेकिन सेटलमेन्ट की भूल की वजह से उक्त खसरा नम्बर 651 बन गया जो नक्शे में तरमीम की त्रुटि का मामला है, जिसके संबंध में अपीलान्त द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष वाद 198/19 से नक्शे एवं रकबा सुधार हेतु वाद दायर किया हुआ है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान रिकार्ड के अनुसार अपीलान्त का



[Signature]

वादग्रस्त खसरा नम्बर 651 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खान की जमीन पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा है। जहां तक सैटलमेंट की भूल से उक्त खसरा नम्बर 651 बन जाने को लेकर कथन है तो उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में रेकॉर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का स्टे आदि हो ऐसा कोई साक्ष्य रेकॉर्ड पर नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट साबित होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2019 से मौजा गोटेन के खसरा नम्बर 651 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खान की जमीन पर अपीलान्ट द्वारा पक्का मकान, पक्की दीवार, पक्की दुकान बनाकर कब्जा किया जाना साबित मानकर अपीलान्ट को विवादग्रस्त भूमि से बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश प्रदान किये हैं।

प्रकरण में पटवारी भू अभिलेख गोटेन एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम गोटेन के खसरा नम्बर 651 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खान की जमीन पर अपीलान्ट द्वारा संवत् 2076 में पक्का मकान, पक्की दीवार, पक्की दुकान बनाकर कब्जा किया जाना साबित है। इसके अलावा अपीलान्ट के निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार मेड़ता को मौका कमीशनर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मय नक्शा चाही गई जिसके क्रम में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक-238 दिनांक 06.04.21 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 651 किस्म गै.मु. खान सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा दो दुकान 450 वर्गफुट, तीन दुकान 900 वर्गफुट एक पोल 300 वर्गफुट कुल रकबा 1650 वर्गफुट पर कब्जा होना तथा 4806 वर्गफुट पर पक्की दीवार निकाल कर अर्थात् कुल 6456 वर्गफुट पर कब्जा होना बताया है। खसरा नम्बर 652 में पक्के मकान बने हुए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि मौके पर देखने पर पाया कि पुराने खसरा नम्बर 1269 मी. के नये खसरा नम्बर 652 बने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्वर्जन रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है, जो कि सैटलमेंट से बने नक्शे अनुसार उक्त खसरा नम्बर 651 है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1269 है। प्रार्थी कन्वर्जन रिपोर्ट अनुसार मौके पर सही काबिज है, लेकिन सैटलमेंट की भूल की वजह से उक्त खसरा नम्बर 651 बन गया जो नक्शे में तरमीम की त्रुटि का मामला है, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष प्रार्थना पत्र 198/19 से नक्शे एवं रकबा सुधार हेतु वाद दायर किया हुआ है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट का वादग्रस्त खसरा नम्बर 651 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खान की जमीन पर अपीलान्ट का उपर्युक्तानुसार नाजायज कब्जा है। जहां तक सैटलमेंट की भूल से उक्त खसरा नम्बर 651 बन जाने को लेकर कथन है, तो उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में रेकॉर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का स्टे आदि हो ऐसा कोई साक्ष्य रेकॉर्ड पर नहीं है। इसके अलावा धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत किसी प्रकरण में निर्णय वर्तमान राजस्व रिकार्ड की स्थिति के दृष्टिगत ही पारित किया जा सकता है। राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती के प्रकरण में जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा राजस्व रेकॉर्ड की दुरुस्ती के संबंध में कोई आदेश/निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक राजस्व रेकॉर्ड की वर्तमान स्थिति ही रहती है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित पाये जाने से निर्णय जैर अपील आदेश पारित किया है, जो उचित है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने का कोई साक्ष्य/बेदखली फर्द रेकॉर्ड पर नहीं होते हुए भी अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास का जो आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील आदेश में अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश हद तक निर्णय अपास्त किया जाता है, शेष निर्णय जैर अपील आदेश यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(डॉ० जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर
Page 4 of 4

